राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–09/2018/बांसवाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट द्वितीय, वृत्त बांसवाड़ा ...अपीलार्थी

बनाम

मै. जीतेन्द्र सिंह राठौड़, कुशलगढ़,
जिला बांसवाडा ...प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.खदाव
उप राजकीय अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से
श्री राकेश मेहता
अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 28.09.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 06/वेट/17–18/ उदयपुर में पारित आदेश दिनांक 24.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय, वृत्त बांसवाड़ा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु पारित आदेश दिनांक 20.03.2017 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 24(3)बी के तहत कायम की गई मांग राशि 95,951/– को विवादित करने पर अपील प्रतिप्रेषित की गई है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी का वर्ष 2014–15 हेतु अधिनियम की धारा 24(3)बी के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.03.2017 पारित किया गया। आलोच्य अवधि में कर मुक्ति प्रमाण पत्र के अन्तर्गत राशि रू. 5,08,232/– और करमुक्ति माल की बिक्री राशि रू. 17,01,739/– पायी गयी तथा कर मुक्त माल की बिक्री को नॉन ईसी कार्य मानते हुए कर आरोपित किया। अपीलीय अधिकारी ने कर मुक्त माल की बिक्री पर करारोपण अनुचित माना है तथा इस संबंध में करारोपण को अपास्त करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है तथा विधिसम्मत एवं नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है। अपीलीय अधिकारी ने कर मुक्ति प्रमाण पत्र के तहत रू 5,08,232/– पर आरोपित कर 21,000/– रू को अपास्त किया है। प्रकरण में कर मुक्ति प्रमाण पत्र के तहत बिक्री पर कर आरोपण नहीं है जिससे कर मुक्ति प्रमाण पत्र के तहत रू 5,08,232/– पर आरोपित कर 21,000/– रू को अपास्त करना विधिसम्मत है। कर मुक्त माल की बिक्री के संबंध में आरोपित कर को अपास्त करते हुए जांच कर विधिसम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत है क्योंकि इससे मूल विवाद का निस्तारण हो सकेगा। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है जिसमे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3 उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

4. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)